**भारत सरकार**

**स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय**

**स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या - 925**

**28 जुलाई, 2015 को पूछे जाने वाले प्रश्‍न का उत्तर**

**मानसिक रूप से अस्वस्थ रोगियों का पुनर्वास**

925. **श्री विवेक गुप्ता:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेकि:

(क) देश में मानसिक रूप से अस्वस्थ रोगियों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में मानसिक रूप से अस्वस्थ रोगियों की देखभाल में विशेषज्ञता रखने वाले विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी अस्पतालों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) मनोवैकल्य रोगियों की विशेष देखभाल हेतु आबंटित निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार मानसिक रूप से अस्वस्थ रोगियों के स्वस्थ होने के बाद समाज में उनके पुनर्वास हेतु कोई योजनाएं चला रही है?

**उत्तर**

**स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद यसो नाईक)**

(क): देश में मानसिक रूप से विकलांग मरीजों से संबंधित सूचना केंद्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। फिर भी, विकलांग सश्क्तीकरण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, मानसिक मंदता से पीड़ित व्यक्तियों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

(ख): देश में मानसिक रूप से विकलांग मरीजों की देखभाल में विशेषज्ञता रखने वाले विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी अस्पतालों के संबंध में राज्य-वार आंकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते है। फिर भी, मानसिक रूप से बीमार मरीजों की देखभाल एवं उपचार के लिए केंद्र सरकार के तीन मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, नामतः राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगुलुरू, केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान रांची, और लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्दोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर और 40 राज्य संचालित मानसिक स्वास्थ्य संस्थान हैं।

(ग) एवं (घ): सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीनस्थ राष्ट्रीय न्यास द्वारा विकलांगताओं नामतः आटिज्म, मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता और बहु विकलांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों के कल्यार्णार्थ समर्थ (आवासीय केंद्र), निरामय (स्वास्थ्य बीमा योजना), सहयोगी (देखभाल प्रदाता प्रशिक्षण योजना), घरौंदा (सामूहिक गृह आजीवन पुनर्वास केंद्र) जैसी अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। उपर्युक्त सभी योजनाओं के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

\*\*\*\*

**अनुलग्नक**

**वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मानसिक मंदता से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र. सं.** | **राज्य** | **मानसिक मंदता से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 132,380 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 1264 |
| 3 | असम | 26,374 |
| 4 | बिहार | 89,251 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 33,171 |
| 6 | दिल्ली | 16,338 |
| 7 | गोवा | 1817 |
| 8 | गुजरात | 66,393 |
| 9 | हरियाणा | 30,070 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 8986 |
| 1 1 | जम्मू और कश्मीर | 16,724 |
| 12 | झारखंड | 37,458 |
| 13 | कर्नाटक | 93,974 |
| 14 | केरल | 65,709 |
| 15 | मध्य प्रदेश | 77,803 |
| 16 | महाराष्ट्र | 160,209 |
| 17 | मणिपुर | 4506 |
| 18 | मिजोरम | 1585 |
| 19 | मेघालय | 2332 |
| 20 | नगालैंड | 1250 |
| 21 | ओडिशा | 72,399 |
| 22 | पंजाब | 45,070 |
| 23 | राजस्थान | 81,389 |
| 24 | सिक्किम | 516 |
| 25 | तमिलनाडु | 100,847 |
| 26 | त्रिपुरा | 4307 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 181,342 |
| 28 | उत्तराखंड | 11,450 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 136,523 |
| 30 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 294 |
| 31 | चंडीगढ़ | 1090 |
| 32 | दमन और दीव | 176 |
| 33 | दादरा एवं नगर हवेली | 180 |
| 34 | लक्षद्वीप | 122 |
| 35 | पुडुचेरी | 2335 |
|  | कुल | 1505634 |

**तेलंगाना राज्य के लिए अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं है**